संख्या-188/2016/आर-3971/26-3-2016-4(43)/2016

प्रेषक,

कामता प्रसाद
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 21 अक्टूबर 2016

विषयः- रिट याचिका संख्या-52446/2015 जे0के0 इन्स्टीट्यूट आफ फार्मेसी एण्ड मैनेजमेन्ट बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-14-09-2015 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-2355/स.क./शिक्षा-अ60/लखनऊ, 2016-17, दिनांक-12-09-2016 द्वारा उपलब्ध करायी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त उक्त याचिका में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-14-09-2015 के अनुपालन में याची शिक्षण संस्था में अध्ययन प्राप्त अनुसूचित जाति के 12 पात्र छात्र-छात्राओं की वर्ष 2014-15 की दशमोत्तर अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि रूपये-7.2446/ लाख (रूपये सात लाख चौबिस हजार चार सौ साठ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-83 के योजनान्तर्गत आयोजनागत पक्ष मे प्राविधानित धनराशि जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत की गयी है, से व्यय/भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है।

2- मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक-14-09-2015 के अनुपालन में याची शिक्षण संस्था के प्रत्यावेदन को सकारण स्वमुखरित आदेश द्वारा अपने स्तर से निस्तारित करने का कष्ट करें।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक-22 मार्च 2016 में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

कामता प्रसाद
अनुसचिव

पृ0सं0-188/2016/आर-3971(1)/26-3-2016 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- जिला समाज कल्याण अधिकारी, बुलन्दशहर।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
5- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

कामता प्रसाद
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in